भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड

49/7, बलबीर रोड़, देहरादून – 248001

दूरभाष
कार्यालय : (0135) 2677469
फैक्स : (0135) 2677469
www.bcputtarakhand.in
bcpuk.ddn@gmail.com

पत्रांक : 1284-86/माचिप/सा–66/2019–20 दिनांक 27-11-2019

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.04.2017 के समादर में अन्य प्रान्तों से डिप्लोमाधारी आयुर्वेदिक/यूनानी फार्मेसिस्टों के भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में पंजीकरण के सम्बंध में आयुर्वेदिक तथा यूनानी, तिब्बी, सिद्धा चिकित्सा व्यवसायी पंजीकरण नियम 2019 को भारतीय चिकित्सा परिषदं, उत्तराखण्ड की वेबसाईट www.bcputtarakhand.in पर देखा जा सकता है। उक्त नियम के सम्बन्ध में यदि किसी को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिन के भीतर **रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा परिषदं, उत्तराखण्ड, 49/7, बलबीर रोड़, देहरादून** में लिखित रूप में अथवा ई–मेल (bcpuk.ddn@gmail.com) द्वारा प्रेषित की जा सकती है। 15 दिन के उपरान्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

रजिस्ट्रार

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. सचिव, आयुष एवं शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. लेखा लिपिक, भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड।
4. विज्ञापन व्यवस्थापक, डॉट कम्यूनिकेशन, एफ4ए, प्रथम तल, जनपथ कॉम्पलैक्स, निकट बिन्दाल पुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को दैनिक हिन्दी समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण व हिन्दुस्तान (सम्पूर्ण उत्तराखण्ड, गढवाल व कुमाऊ मण्डल) में शासन द्वारा निर्धारित डी0ए0वी0पी0 दरों पर कम से कम स्थान पर प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

रजिस्ट्रार